



दूरभाष: 0522-2286709.2.

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र

नव चेतना केन्द्र, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक:- 4859/76/10/छ:/तक०/विविध/12-13

दिनांक:- 10/1/17

अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषय:-शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य/मलिन बस्तियों में "इण्टरलाकिंग रोड व नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधा योजनान्तर्गत" निर्माण कार्यों की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक:-15/पी.एस.एम.एस./2017 दिनांक:-04.01.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 26.12.2016 संख्या 427/6/1/2016 (जो कि आयोग की वेब-साईट पर उपलब्ध है), का संज्ञान लेते हुये उक्त पत्र के प्रस्तर-5 में 04.01.2017 से पूर्व अर्थात् आचार संहिता लागू होने से पूर्व विकास/निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में सूचना संकलित किये जाने अपेक्षा की गयी है। यह सूचना निम्न दो श्रेणियों में संकलित की जानी है:-

1. ऐसे निर्माण/विकास कार्यों की सूची जो संदर्भित तिथि से पूर्व भूमि पर प्रारम्भ हो चुके हैं।
2. ऐसे निर्माण/विकास कार्यों की सूची जो संदर्भित तिथि से पूर्व भूमि पर प्रारम्भ नहीं हुए हैं।

सुलभ संदर्भ हेतु उपरोक्त दोनों सूचनायें संकलित करते समय कार्यों को 10 करोड़ से अधिक एवं कम की श्रेणियों में विभाजित करते हुए तत्काल लौटती डाक से शासन एवं अभिकरण को तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि:-समस्त परियोजना अधिकारी/सहा० परियोजना अधिकारी, डूडा, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त क्रम में पृष्ठ भाग पर वांछित सूचना तत्काल लौटती डाक से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

सं० M-S 44/SL-1-2017

कार्यालय : मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
लाल बहादुर शास्त्री भवन।

अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या 15 / पी.एस.एम.एस. / 2017
दिनांक : 04 जनवरी, 2017

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश।

संख्या-45/16
समयबद्ध

कृपया भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 संख्या 15/6/1/2016 (जो कि आयोग की वेब-साईट पर उपलब्ध है), का संज्ञान लेने का कष्ट करें। उक्त पत्र के प्रस्तर-5 में 04 जनवरी, 2017 से पूर्व अर्थात् आचार संहिता लागू होने से पूर्व विकास/निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में सूचना संकलित किया जाना अपेक्षित है। यह सूचना निम्न दो श्रेणियों में संकलित की जानी है -

किस

कृपया तत्काल प्रस्तुत करें।

- 1- ऐसे निर्माण/विकास कार्यों की सूची जो संदर्भित तिथि से पूर्व भूमि पर प्रारम्भ हो चुके हैं।
- 2- ऐसे निर्माण/विकास कार्यों की सूची जो संदर्भित तिथि से पूर्व भूमि पर प्रारम्भ नहीं हुए हैं।

07/01/2017

प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश

सुलभ संदर्भ हेतु उपरोक्त दोनों सूचनायें संकलित करते समय कार्यों को 10 करोड से अधिक एवं कम की श्रेणियों में विभाजित करते हुए दिनांक 07.01.2017 की अपराह्न तक इस कार्यालय को तीन प्रतियों में अविलम्ब उपलब्ध कराना आवश्यकता है।

B.S.

श्री प्रियंका मिश्रा / श्री विजय कुमार

Rishuay
(राहुल मटनागर)
मुख्य सचिव

निदेशक, अ.स. (क.उ.प्र.)
प्रतिलिपि : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
निदेशक/प्रबन्ध निदेशक

- 1- सी०एम०-डी०एस०, एच०एच०पी०प्रोजेक्ट कारपोरेशन, लखनऊ (3) उप-प्रबन्धनायक कार्यालय - निदमि - निदेशक/उप-निदेशक एवं निर्माण सहायक सचिव, लखनऊ (4) उप-प्रबन्धनायक कार्यालय - सहायक सचिव, (2) उप-प्रबन्धनायक कार्यालय (3) उप-प्रबन्धनायक कार्यालय, लखनऊ।

कृपया उपरोक्त सूचनायें दिनांक 06-1-2017 तक अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।